**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या: *22**

**22 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**नकली दवाओं की उपलब्धता और इस्तेमाल के संबंध में अध्ययन**

***22. श्री रामजी लाल सुमनः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के बाजारों में प्रतिबंधित और नकली दवाओं की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल के संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(ख) क्या नकली और प्रतिबंधित दवाओं के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**

**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**22 जुलाई, 2025 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.22 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत "नकली दवाओं" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम नकली, मिलावटी, गलत ब्रांड वाली दवाओं, जिसमें जाली औषधियां भी शामिल हैं, को परिभाषित करता है।

अमानक गुणवत्ता (एनएसक्यू)/नकली दवाओं की मात्रा का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (2014-16) किया गया था। सरकारी और निजी स्रोतों से कुल 47,012 दवाओं के नमूने लिए गए थे।

(ख): ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत नकली/मिलावटी/अमानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) वाले दवाओं का विनिर्माण दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अंतर्गत किसी भी निषिद्ध या प्रतिबंधित औषधि का विनिर्माण, बिक्री और वितरण भी दंडनीय अपराध है और इस संबंध में संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी उचित कार्रवाई की शुरुआत करने हेतु अधिकृत हैं।

किसी भी नकली/मिलावटी/मानक गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने वाली दवाओं आदि का उपयोग हानिकारक है और यह रोगी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ऐसी दवाओं के संबंध में प्राप्त होने वाली छिटपुट शिकायते जब भी प्राप्त होती हैं, उनकी जांच संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ मिलकर की जाती है ताकि कार्रवाई की जा सके।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता के अननुरूप /नकली/मिलावटी पाए गए दवाओं के नमूनों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ओषध नियंत्रकों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष (अप्रैल से मार्च) | परीक्षण की गई दवा नमूनों की संख्या | मानक गुणवत्ता के अननुरूप घोषित दवा के नमूनों की संख्या | नकली/मिलावटी घोषित किए गए दवा नमूनों की संख्या | नकली/मिलावटी दवा के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 96,713 | 3,053 | 424 | 663 |
| 2023-24 | 1,06,150 | 2,988 | 282 | 604 |
| 2024-25 | 1,16,323 | 3,104 | 245 | 961 |

*****